UPBJ010061042024

**न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor**

**पीठासीन अधिकारी–** (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

**अंतिम रिपोर्ट सं0–1162/2025**

श्रीमति उषा बनाम विरेन्द्रपाल आदि

मुकदमा अपराध संख्या 267/2023
धारा 420,467,468,471,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर

**25–04–2025**

पत्रावली आज प्रोटेस्ट पेटीशन क–13 व अन्तिम रिपोर्ट सं0–512/2023 दिनांकित 11–09–2023 के आदेश हेतु नियत है। पूर्व तिथि पर वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को प्रोटेस्ट पेटीशन व अंतिम रिपोर्ट पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट पेटीशन पत्र क–13 इस आशय की प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की है, विपक्षीगण गैर अनुसूचित जाति के हैं। विपक्षीगण ने आपस में साज कर प्रार्थनी के परिवार की पैतृक जमीन कब्जा रखी है। दिनांक 10–03–2023 को विपक्षीगण ने प्रार्थनी के साथ आपराधिक घटना की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संस्थित याचिका में पुलिस अधीक्षक बिजनौर को आदेशित किया गया था कि एस0सी0,एस0टी0 एक्ट के अनुपालन में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें। परन्तु लोक सेवकों ने जानबूझकर मुकदमें में एस0सी0,एस0टी एक्ट की धारा न लगाकर प्रार्थनी को क्षति पहुंचाई है। वादिनी ने अपने बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का समर्थन किया है। विवेचक ने प्रार्थनी के साथ घटना स्थल का मुआयना किया है। तहसील के कर्मचारियों ने नोक–झोंक का कथन किया है, परन्तु उनके नाम पते सी0डी0 में अंकित नहीं किया है। विवेचक ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने की अनुमति जिलाधिकारी से लेने का उल्लेख नहीं किया है न ही कोई अभिलेख लिया गया है। विरेन्द्रपाल व सहजराम लेखपाल के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की गयी है। घटना स्थल के गवाहान नरेश कुमार, आशीष कुमार अहलावत, निशिकान्त मिश्रा के बयान विश्वसनीय नहीं हैं। विवेचक ने अभियुक्तगण से षडयन्त्र करके कार्यालय में बैठकर बयान अंकित कर लिये हैं। विवेचक ने निष्पक्ष जांच नहीं की, अधिकारियों से अभिलेख लेने की कोशिश नहीं की

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2025.04.25 18:51:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न ही प्रार्थनी का बयान लिखा। वादिनी व उसके साक्षी पूनम, नरेश कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है, उनके बयानों से आपराधिक घटना की पुष्टि होती है। पर्यवेक्षण अधिकारी ने वाद की सूचना पुलिस अधीक्षक बिजनौर को न देकर अधिनियम के नियम का उल्लंघन किया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवेचक की नियुक्ति नहीं की गयी न ही 60 दिन की अवधि के अन्दर अन्वेषण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्रोटेस्ट याचिका स्वीकार कर अन्तिम आख्या निरस्त करते हुए अभियुक्तगण को तलब करने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादिनी उषा रानी ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की प्रति के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थनी के दादा छज्जू सिंह अनुसूचित जाति (चमार) के थे, जिनका एकमात्र पुत्र तेजा सिंह उर्फ तेजपाल था। तेजा सिंह प्रार्थनी के पिता थे। प्रार्थनी के दादा की आराजी काश्त प्रार्थनी की माता व भाई के नाम आनी चाहिए थी, परन्तु मुल्जिमान विरेन्द्रपाल लेखपाल, पवन लेखपाल, प्रमोद कुमार सैनी राजस्व निरीक्षक तहसील बिजनौर ने प्रमोद, आमोद, चेतन, नौबहार, महावीर, सोहन, मोहन, बलजोर, बलवीर, राजीव, नीरज से हमसाज होकर फर्जी व कूटरचित तरीके से आराजी अन्य व्यक्तियों के नाम कर दी। प्रार्थनी के दादा व पिता ने आराजी का बैनामा व रहननामा नहीं किया था न ही अनुसूचित जाति के होने के सम्बन्ध में कलेक्टर से अनुमति ली गयी। उसके बाद भी धोखा धडी करते हुए प्रार्थनी के दादा छज्जू सिंह की आराजी खसरा नं0 72/1, 173/1, 50/6, 52/1, 53, 54/1, 95/1, 109/1 में 9 बीघा व मौजा दारानगर में खसरा नं0 336, 337 जो प्रार्थनी के दादा छज्जू के नाम थे। विपक्षीगण ने कागजातो में हेरा फेरी करके छज्जू पुत्र गरीबा से हमसाज होकर काश्त को अपने नाम करवा लिया। विपक्षीगण ने आपस में हमसाज होकर माल कागजात में अपने नाम दर्ज करा लिये। कागजातों की नकले लेने पर प्रार्थनी ने प्रमोद कुमार राजस्व निरीक्षक से अपने भाई व मां का नाम दर्ज कराने के लिए कहा तो वह भडक गये और धक्का देकर भगा दिया। प्रार्थनी दिनांक 10–03–2023 को समय 11 बजे प्रमोद, आमोद, चेतन, नौबहार, महावीर, सोहन, मोहन बलजोर, बलवीर, राजीव, संजीव, नीरज, प्रमोद कुमार सैनी, विरेन्द्रपाल, पवन, सहजराम से मिली तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दिया, गन्दी गन्दी गालियां व धक्के देकर भगा दिया। थाने गयी परन्तु कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

इस प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार थाना कोतवाली शहर, बिजनौर में मुकदमा अपराध सं0 267/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 विरूद्ध विरेन्द्रपाल लेखपाल, पवन लेखपाल, प्रमोद कुमार सैनी राजस्व निरीक्षक, प्रमोद, आमोद, चेतन, नौबहार, महावीर, सोहन, मोहन, बलजोर, बलवीर, राजीव, संजीव, नीरज व सहजराम के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

मामले की विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि विवादित आराजी में दो–दो बार चकबन्दी हो चुकी है, उसके

बाद भी वादिनी मुकदमा चकबन्दी को गलत बता रही है। प्रकरण करीब 65 वर्ष पुराना है। वादिनी मुकदमा की भूमि का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। तमामी विवेचना से धारा 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0,एस0टी0 एक्ट के साक्ष्य नहीं पाये जाने पर साक्ष्य के अभाव में पूर्व में प्रेषित अन्तिम आख्या 512/2023 दिनांक 11–09–2023 का समर्थन करते हुए विवेचना समाप्त की जाती है।

वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवेचक द्वारा सही तरीके से विवेचना नहीं की गई है। विवेचनाधिकारी ने अभियुक्तगण से हमसाज होकर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपनी खेती की जमीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से अनुमति सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गयी है। वादिनी व उसके साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। विवेचना में नियमों का पालन नहीं किया गया है। अंतिम रिपोर्ट निरस्त की जाए।

**अभिनन्दन झा बनाम दिनेश मिश्रा ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 पेज 117, इण्डिया कराट प्राईवेट लिमिटेड बनाम स्टेट आफ कर्नाटक (1989) 2 एस0सी0सी0 पेज 132, एच0एस0 वेंस बनाम यूनियन टेरीटेरी ऑफ चण्डीगढ ए0आई0आर0 1980 एस0 सी0 1883 एवं पाखंडू बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2001 (43) ए0सी0सी0 1096 (इलाहाबाद डी.बी.)** में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि धारा 173 दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित विकल्प प्राप्त है।

1–वह पुलिस द्वारा दिये गये निष्कर्ष से सहमत होते हुए अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार कर कार्यवाही समाप्त कर सकता है।

2–वह पुलिस रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्ष से प्रभावित हुए बिना दं0प्र0सं0 की धारा 190(1)(बी) के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेकर प्रोसेस जारी कर सकता है।

3–यदि विवेचना सतही ढंग से की गयी हो तो मजिस्ट्रेट अग्रेतर विवेचना का आदेश कर सकता है।

4–वह दं0प्र0सं0 की धारा 190(1)(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर परिवादी व उसके साक्षियो के बयान ले सकता है अथवा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं अथवा जॉच को निर्देशित कर सकता है। तत्पश्चात वह परिवाद को निरस्त कर सकता है अथवा प्रोसेस जारी कर सकता है।

अन्तिम रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिक विवेचना उपनिरीक्षक श्री संजीव कुमार द्वारा सम्पादित करते हुए अन्तिम रिपोर्ट 512/2023 दिनांक 11–09–2023 से विवेचना समाप्त की गयी। क्षेत्राधिकारी नगर बिजनौर द्वारा अन्तिम रिपोर्ट को रोकते हुए कुछ बिन्दुओं पर साक्ष्य संकलन हेतु निदेर्शित किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा अभियोग में धारा 3(2)5 एस0सी0,एस0टी0 एक्ट की वृद्धि की गयी एवं विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर

बिजनौर द्वारा प्रारम्भ की गयी। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार विवेचना क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद को स्थानान्तरित की गयी। उनके द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी। पुनः पुलिस अधीक्षक के आदेश से विवेचना क्षेत्राधिकारी नगीना को अन्तरित की गयी। उनके द्वारा विवेचना के दौरान उपनिबन्धक बिजनौर, चकबन्दी अधिकारी, उपजिलाधिकारी नगीना, बिजनौर से आराजी के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी, जिसे केस डायरी का भाग बनाया गया है। वादिनी व अन्य गवाहान के बयान लिये गये। विवेचना से पाया गया कि वादिनी के पिता तेजा पुत्र छज्जू के द्वारा प्रथम चकबन्दी के पूर्व ही दिनांक 29–01–1959, 24–09–1959 तथा दिनांक 29–03–1965 को विभिन्न व्यक्तियों को बैनामे किये गये हैं। परन्तु विवेचनाधिकारी द्वारा उक्त बैनामे किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बिजनौर से अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन नहीं किया है। अतः मामले की परिस्थितियो में निम्नलिखित बिन्दु पर अग्रेतर विवेचना की आवश्यकता है।

- क्या दिनांक 29–01–1959 से दिनांक 29–03–1965 के बीच अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आराजी का विक्रय किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लिये जाने की व्यवस्था थी। यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी बिजनौर से अनुमति प्राप्त की गयी है?

क्षेत्राधिकारी नगर बिजनौर को आदेशित किया जाता है कि मामले में उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अग्रेतर विवेचना करते हुए अबिलम्ब विवेचना का निष्कर्ष न्यायालय को प्रेषित करें।

**<u>आदेश</u>**

पत्रावली दिनांक 30–05–2025 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु पेश हो। आदेश की प्रति क्षेत्राधिकारी नगर, बिजनौर को प्रेषित की जाए।

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।